फर्द अहकाम

महेश बनाम बनारसी

नाम न्यायालय

केस संख्या TC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10·1·18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अपने टी०आई० प्रार्थना-पत्र पर अपने पक्ष बहस सुनी गयी वास्ते आदेशार्थ दिनांक 17-01-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर
	17/01/18	पत्रावली पेश हुई। वास्ते टी० आई० आदेशार्थ दिनांक 22/01/18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर
	22/01/18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अर्जी-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली देशल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्याः 42 / 2017
पीठासीन अधिकारीः आशीष कुमार आर0ए0एस0

महेश पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति मीणा आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम बगराना तहसीलः जयपुर जिला जयपुर।

————प्रार्थी

बनाम

1.श्रीमति बनारसी देवी पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ आयु 80 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बगराना तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2.श्रीमति सन्तोष देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बगराना तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. राजेश पुत्र स्व0 श्री सीताराम जाति मीणा आयु 15 वर्ष अवयस्क जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सन्तोष पत्नी स्व0 श्री सीताराम निवासी ग्राम बगराना तहसील जयपुर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर पता तहसील कार्यालय जयपुर जिला जयपुर।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :22.01.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में निम्नानुसार हैं कि–

प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 या 3 कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नं0 391 रकबा 01 बिस्वा, खसरा न0 392 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 393 रकबा, 7 बीघा, खसरा नं0 739 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 740 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा खसरा न0 730 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, 731 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 732 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा ग्राम बगराना पटवार हल्का जामडोली तहसील एंव जिला जयपुर में स्थित है। श्री जगन्नाथ और श्री सीताराम की मृत्यु हो चुकी है। श्री जगन्नाथ की मृत्यु पर उनके प्रथम श्रेणी विधिक वारीस अप्रार्थी संख्या 2 केपति तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता श्री सीताराम एवं श्री रामवतार हुए। श्री रामवतार की मृत्यु अविवाहित और ना–आलौद ही हो गई। उनके कोई विधिक वारीस नहीं होने से उनकी उक्त भूमि के अधिकार उनके भ्राता श्री सीताराम हुए। श्री सीताराम की मृत्यु पर उनके प्रथम श्रेणी विधिक वारीसान में उनकी माता, उनकी पत्नी और पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 एंव प्रार्थी हुए। श्री जगन्नाथ और श्री सीताराम की मृत्यु निर्वसियती हुई है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 3 मृतक श्री सीताराम के प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान है जिन्हे मृतक श्री सीताराम की मृत्यु पर उक्त भूमि विरासत में मिली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रार्थी का उक्त सयुंक्त हिन्दू परिवार की भूमि मे जन्म से हक अधिकार है। प्रार्थी के नाम मृतक श्री सीताराम की खातेदारी का अन्तरण होना शेष है जिसका प्रार्थी अधिकारी है।

वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक की 1/4 –1/4 अविभाजित हक हिस्सेदारी है। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी में पर प्रार्थी एंव अप्रार्थी 1 ता 3 शामलाती तौर पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण स्वयं को मृतक सीताराम से एकमात्र विधिक वारीस होना बताकर उक्त अविभाजित भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 परिवार के बुजुर्ग होने के कारण कुछ लोगों के प्रभाव में आकर शामलाती कृषि भूमि में से अच्छी–अच्छी भूमि भूमाफिया गिरोह को अन्तरित करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। जबकि प्रार्थी अधिकारी है कि वह अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद करवाये कि वे विवादित भूमि को बिना विधिवत विभाजन करवायें अन्तरित नही करें व ना ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा अन्तरित करे एवं न ही कृषि भूमि की किस्म में परिवर्तन करवायें अन्तरित नहीं करें व ना ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा अन्तरित करे एवं न ही कृषि अन्तरित करे एवं न ही कृषि भूमि की किस्म में परिवर्तन करें एवं न ही भूखण्ड काट किसी प्रकार का कोई निर्माण करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थी 01 लगायत 3 की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया– भूमि खसरा न0 391, 392,393, 739, 740, 730, 731, 732 स्थित ग्राम बगराना तहसील व जिला जयपुर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की कब्जे खातेदारी होने बाबत कोई विवाद नही है। यह है कि जगन्नाथ व श्री सीताराम की मृत्यु हो युकी है। श्री जगन्नाथ की मृत्यु पर उनके प्रथम श्रेणी विधिक वारिस मिन अप्रार्थी संख्या 2 के पति व अप्रार्थी संख्या 3 के पिता श्री सीताराम एंव श्री रामवतार हुए। श्री रामवतार की मृत्यु अविवाहित और ना औलाद ही हो गई। उनके कोई विधिक वारिस नहीं होने से उनकी उक्त भूमि के अधिकारी उनके भ्राता श्री सीताराम हुए। श्री सीताराम की मृत्यु पर उनके प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान प्रार्थी एंव अप्रार्थी हुए, बाबत कोई विवाद नही है। यहा यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4–1/4 हक हिस्सा खातेदारी है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में वर्णित तथ्य मिथ्या अंकित होने से स्वीकार नहीं है। उक्त मद में प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थीगण स्वयं को मृतक सीताराम के एक मात्र विधिक वारिस होना बताकर उक्त अविभाजित भूमि को विक्रय करने पर आमाद है मिथ्या अंकन होने से स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 3/4 हक हिस्सा खातेदारी है तथा मिन अप्रार्थीगण अपने हक हिस्से खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। तथा मिन अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का कोई बेचान नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

प्रार्थी द्वारा दिंनाक 14.07.2017 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मौके पर हो रहे निर्माण को रूकवाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमीश्नर द्वारा दिंनाक 19.07.2017 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर उभय–पक्ष की बहस सुनी गयी तथा जवाब व मौका कमीश्नर रिपोर्ट मय फोटोज का भी अवलोकन किया गया। न्यायालय अन्त में इस निर्णय पर पहुंचा है कि मौके पर वाद ग्रस्त आराजीयात पर निर्माण कार्य व निर्माण सामग्री रखी हुई अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को इस कदर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को इस कदर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बगराना तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा न0 391, 392, 393, 739, 740, 730, 731, 732 में किस्म परिवर्तन न करें, प्रार्थी को उपयोग–उपयोग में बाधित न करें, वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार परिवर्तन न करें, प्रार्थी को उपयोग–उपयोंग में बाधित न करें वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। वादग्रस्त आराजीयात् को अन्तरित की न करें। अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्माण कार्य नही करें। वादग्रस्त आराजीयात् को अन्तरित भी न करें। अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्माण कार्य नही करें।

आज दिंनाक 22.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर